विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	पशु पालन
प्रश्न संख्या तारांकित	:	5180
उत्तर की तिथि	:	15–03–2022
विषय	:	हिम कुक्कुट योजना
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री इन्द्र दत्त लखनपाल (बड़सर)
सम्बन्धित मन्त्री	:	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि हिम कुक्कुट योजना की 60:40 अनुपात के अन्तर्गत कितनी प्रोजैक्ट कॉस्ट थी तथा किसानों को किस दर पर चूजे, फीडर व ड्रिंकर उपलब्ध करवाए गए; क्या यह योजना लाभार्थियों को 60:40 अनुपात पर ही दी जा रही है; क्या उनसे फार्मर शेयर ज्यादा लिया जा रहा है; ब्यौरा दें;	(क), (ख) व (ग) सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।
(ख)	गत तीन वर्षों में पशु पालन विभाग में 90:05:05 अनुपात योजना के तहत कितने आवेदन प्राप्त हुए; इस योजना के अर्न्तगत किस–किस कीमत पर बकरियां उपलब्ध करवाई गईं; कितनी बकरियां अब तक मरी व किसानों को इन बकरियों का कितना मुआवज़ा दिया गया; वर्षवार ब्यौरा दें; और	
(ग)	इस योजना में 60:40 अनुपात के अर्न्तगत कितनी बकरियां दी गईं उनमें से कितनी मरी तथा उनका कितना मुआवज़ा दिया गया; जो बकरी पालक इस योजना के अर्न्तगत कार्य कर रहे हैं उन्हें इस योजना से कितना लाभ हुआ तथा क्या वे इस व्यवसाय को सुचारू रूप से चला रहे हैं; यदि हां, तो पूर्ण ब्यौरा दें?	

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 5180 जोकि श्री इन्द्र दत्त लखनपाल (बड़सर) द्वारा हिम कुक्कुट योजना बारे पूछा गया है, से सम्बन्धित सूचना :–

(क) हिम कुक्कुट पालन योजना (60:40 अनुपात) के अन्तर्गत कुल परियोजना लागत मु0 6,60,000/–(मु0 छः लाख साठ हजार रूपये) प्रति लाभार्थी है जिसमें प्रति लाभार्थी 60 प्रतिशत अनुदान के रूप में अधिकत्तम मुवलिग 3,96,000/–(मु0 तीन लाख छियानवे हजार रूपये) के लाभ प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को चूजे मु0 37.50 रूपये प्रति चूजा, फीडर मु0 176.90 रूपये प्रति फीडर व ड्रिंकर मु0 160.61 रूपये प्रति ड्रिंकर की दर से उपलब्ध करवाए गए हैं।

क्रम संख्या	अवयव	कुल लागत (रूपये में)		अनुदान (योजना अनुसार लागत का 60 प्रतिशत) (रूपये में) (अधिकतम)	लाभार्थी अंश (योजना अनुसार लागत का 40 प्रतिशत) (रूपये में)	लाभार्थी से लिया गया अंश (रूपये में)
		(योजना अनुसार लागत का 60 प्रतिशत)	निविदा प्रक्रिया अनुसार निर्धारित लागत			
1	चूजें	30.00	37.50	18.00	12.00	19.50
2	फीडर	15000.00	15000.00	9000.00	6000.00	6000.00
3	ड्रिंकर					

फीडर व ड्रिंकर लाभार्थी को निर्धारित दरों पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जिसके लिए उन्हें निर्धारित लाभार्थी अंश से अधिक वहन नहीं करना पड़ रहा है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी ऊन एकत्रीकरण एंव विपणन प्रसंघ के माध्यम से निविदा के द्वारा प्रति चूजे का क्रय मूल्य मु0 39.40 रूपये निर्धारित किया गया है।

हिम कुक्कुट योजना लाभार्थियों को 60:40 अनुपात पर दिए जाने का प्रावधान है। परन्तु योजना के अनुसार प्रति चूजा निर्धारित दर मु0 30/–रूपये है जबकि वर्तमान निविदा प्रक्रिया में निर्धारित दरों अनुसार चूजों के मूल्यों (रूपये 39.40 प्रति चूजा) में वृद्धि होने के कारण योजना अनुसार लाभार्थी को प्रति

हजार चूजों पर अतिरिक्त रूपये 9400/– (रूपये 39.40/–प्रति चूजा) वहन करने होंगे। क्योंकि अनुदान के रुप में अधिकतम मु0 3,96,000/–रुपये (तीन लाख छयानवे हजार रुपये) केवल ही प्रति लाभार्थी दिये जा सकते हैं।

(ख) इस संदर्भ में सूचना निम्न प्रकार से हैः–

वित्तीय वर्ष	योजना का नाम और अनुपात।	योजना के अर्न्तगत कितने आवेदन प्राप्त हुए।	किस कीमत पर बकरियां उपलब्ध करवाई गई (नस्लबार) ब्यौरा।			कितनी बकरियां अब तक मरी।	कितना मुआवजा दिया गया ।
			नस्ल	नर मुल्य	मादा मुल्य		
2019–20	ग्रामीण आंगनवाडी बकरी विकास योजना (90:05:05)	637 (10+1, 4+1 व 2+1 इकाई)	बीटल	5500/–	5150/–	602	313749
2020–21	ग्रामीण आंगनवाडी बकरी विकास योजना (90:05:05)	124 (10+1, 4+1 व 2+1 इकाई)	सिरोही	5200/–	4900/–	22	0
			गद्दी	5600/–	5350/–		
			चीगू	5600/–	5400/–		
			चंगथंगी	5600/–	5400/–		
2021–22	ग्रामीण आंगनवाडी बकरी विकास योजना ((90:05:05)	26 (10+1, 4+1 व 2+1 इकाई)	जमनापरी	5500/–	5150/–	116	0

(ग) इस संदर्भ में सूचना निम्न प्रकार से हैः

वर्ष	योजना का नाम और अनुपात	कितनी बकरियां उपलब्ध करवाई गई	कितनी बकरियां मरी।	कितना मुआवजा दिया गया।	बकरी पालक को इस योजना से कितना लाभ मिला ।	क्या बकरी पालक इस व्यवसाय को सुचारू रूप से चला रहे है
2019 –20	कृषक बकरी पालन योजना 60:40	1017	150	मु0 270300/– रु0 तथा दर–अनुबन्ध की शर्तो अनुसार आपूर्तिकर्ता से मरी हुई बकरीयो के बदले पुनः बकरीयां प्रदान के लिए पत्राचार किया जा रहा है।	बकरी पालक को भविष्य में बकरियों के प्रजनन उपरांत मांस व दुध उत्पादन के रूप में अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा।	जी हां बकरी पालक इस व्यवसाय को सुचारू रूप से चला रहे है । यह इस बात से ज्ञात होता है कि इनमें से कुछ एक लाभार्थियों ने उधयमी पोर्टल में बकरी पालन व्यवसाय को अपनाने हेतु आवेदन भी किया है।
2020 –21	कृषक बकरी पालन योजना 60:40	1295	160	47000		
2021 –22	कृषक बकरी पालन योजना 60:40	223	0	0		